(89)

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या–र–4558 / सात–भू.ह.(सै0) / 2013–14 दिनांक जून 07, 2014

Reg. No 9937
File No GMC/L-1/भूमि

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
हल्द्वानी (नैनीताल)

विषय– वन भूमि हस्तान्तरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि के प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 8361 / रा.मे.का. / एल–1 / भूमि दिनांक 19.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। वन भूमि हस्तान्तरण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम छारछूम पट्टी बलुवाकोट तहसील धारचूला के गैर ज.वि. खतौनी श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के खेत नम्बर 873 रकवा 10.431 हे0, 1267 मध्ये रकवा 4.587 कुल 15.018 हेक्टेयर तथा ग्राम रमतोली पट्टी धारचूला के गैर ज.वि. खतौनी श्रेणी–10(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 2288 रकवा 8.964 हे0, 2999 रकवा 8.018 कुल 16.982 हेक्टेयर इस प्रकार तहसील धारचूला के ग्राम छारछूम एवं ग्राम रमतोली की कुल 32.0 हेक्टेयर सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है।

अतः तहसीलदार धारचूला द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 32.0 हेक्टेयर सिविल भूमि का नक्शा, खसरा एवं नकल खतौनी की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–397 / XVIII(II) / 2012 दिनांक 29.02.2012 के अनुसार **"वर्तमान में तैयार की जा रही योजनाओं में गैर जमींदारी विनाश भूमि में से गैर वन भूमि यदि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित है तो उसके लिए समतुल्य भूमि ही प्रस्तावित की जाएगी"** का प्राविधान किया गया है।

संलग्न–यथोपरि /

प्रभारी अधिकारी, भू लेख
कृते जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी धारचूला को तहसीलदार धारचूला के पत्र दिनांक 03.06. 2014 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी, भू लेख
कृते जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

M(E&P)

urgent
आर्गo दी D.F.O. Pithoragarh को भेजो

20/06/14

21.6.14

प्राचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
हल्द्वानी (नैनीताल)